कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वन वृत्त, अम्बिकापुर

प्रतापपुर रोड, अम्बिकापुर

Ph.No.:- (O) 07774- 240544, (R) 240019 E_Mail :- ccf-sarguja.cg@gov.in, ccfsurguja.cg@gmail.com

क्र0/स्था.ले./ 2402 /2026 अम्बिकापुर, दिनांक 21/03/2026

प्रति,

श्री अक्षपलक ऋषि
वनपरिक्षेत्राधिकारी अम्बिकापुर
सरगुजा वनमण्डल, अम्बिकापुर

द्वारा :- **वनमण्डलाधिकारी, सरगुजा वनमण्डल, अम्बिकापुर।**

विषय :- **स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने बावत्।**

संदर्भ :- **वनमण्डलाधिकारी, सरगुजा वनमण्डल, अम्बिकापुर का पत्र क्र./स्था.ले./488 दिनांक 21.03.2026**

विषयान्तर्गत लेख है कि वनमण्डलाधिकारी, सरगुजा वनमण्डल, अम्बिकापुर के द्वारा प्रेषित संदर्भित प्रतिवेदन अनुसार सरगुजा वनमण्डल, अम्बिकापुर अन्तर्गत दिनांक 21.03.2026 को संजय पार्क के बाड़ा (घेरे) में रखे 14 नग वन्यप्राणी (नर कोटरा-01 नग, मादा कोटरा-05 नग, नर चीतल-01 नग, मादा चीतल-05 नग एवं चौसिंघा नर-02 नग) को आवारा कुत्तों के द्वारा काटे जाने से मृत्यु होने की घटना घटित हुई

उक्त घटना से प्रतीत होता है कि आपके द्वारा वन्यप्राणियों के संरक्षण, संवर्धन के दायित्वों का सुचारू रूप से संचालन नहीं किया गया तथा आपके द्वारा अपने अधीनस्थों पर समुचित नियंत्रण नहीं रखा गया, जो शासकीय कार्यो के प्रति आपकी लापरवाही एवं उदासीनता को दर्शाता है। आपका उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 का स्पष्ट उल्लंघन है।

अतः इस संबंध में आप अपना स्पष्टीकरण पत्र प्राप्ति के 05 दिवस के भीतर इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें, अन्यथा एक पक्षीय अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी। अतिरिक्त प्रति पर दिनांकित पावती अभिस्वीकृति भी देना सुनिश्चित करें।

मुख्य वन संरक्षक
सरगुजा वनवृत्त, अम्बिकापुर

अम्बिकापुर, दिनांक 21/03/2026

पृ.क्र0/स्थापना/2403/2026

प्रतिलिपि :-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़ नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) छत्तीसगढ़ नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (प्रशा.राज./सम.) छत्तीसगढ़ नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) एवं फिल्ड डायरेक्टर (एलीफेन्ट रिजर्व) सरगुजा वृत्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. वनमण्डलाधिकारी, सरगुजा वनमण्डल, अम्बिकापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। आदेश की प्रति संबंधित को सौंपकर अतिरिक्त प्रति पर दिनांकित पावती अभिस्वीकृति प्राप्त कर इस कार्यालय को भेजें तथा इनके विरूद्ध निर्धारित समयावधि में आरोप पत्र मय सुसंगत अभिलेख के तैयार कर अनुमोदन हेतु इस कार्यालय को प्रेषित करें।
6. प्रभारी, वन्यप्राणी शाखा, वृत्त कार्यालय, अम्बिकापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

मुख्य वन संरक्षक
सरगुजा वनवृत्त, अम्बिकापुर